-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.04.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत बांदा पुलिस द्वारा अवैध गांजे की तस्करी करने वालों पर की गई एक और बड़ी कार्यवाही । थाना पैलानी पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय अवैध गांजा तस्कर गिरोह का किया गया पर्दाफाश । लगभग 15 लाख रुपये कीमत के अवैध सूखे गांजे के साथ 05 तस्करों को किया गया गिरफ्तार ।**
- **अभियुक्त ओडिशा तथा झारखण्ड से लाते थे अवैध गांजे की खेप । बांदा और इसके आसपास के जनपदों चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, सतना आदि में करते थे अवैध गांजे की बिक्री ।**
- **अभियुक्तों ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत लाई थी अवैध गांजे की खेप । लोकसभा चुनाव के दौरान बिक्री की थी तैयारी ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 को सकुशल एवं निष्पक्ष रुप से सम्पन्न कराये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना पैलानी पुलिस द्वारा अवैध गांजे की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 05 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 13.04.2024 को देर शाम थाना पैलानी को गश्त एवं चेकिंग के दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ गांजा तस्कर अवैध गांजे की खेप बिक्री करने हेतु जसपुरा की ओर जा रहे हैं । सूचना पर संज्ञान लेतु हुए पुलिस द्वारा कालेश्वर मन्दिर के पास 02 संदिग्ध चार पहिया वाहनों को चेक किया गया तो उसमें 06 बोरियों में 101 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद किया गया साथ ही अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 05 अन्तर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 01 अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है । गिरफ्तार अभियुक्तों ने कड़ाई से पूछताछ में बताया कि फरार अभियुक्त मोहित निगम ओडिशा व झारखण्ड से अवैध सूखे गांजे की डील करता था तथा वे सभी वहां से अवैध सूखा गांजा लाकर बांदा और आसपास के जनपदों में इसकी बिक्री करते थे । उन्होने बताया कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा यह खेप लाई जा रही थी ।

बरामदगी-

- 101 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा
- अवैध गांजे के परिवहन में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन (1. मारुति वैन ओमनी UP78DP4458 व 2. बोलेरो पिकअप UP90AT2194)
- 06 अदद् मोबाइल फोन
- 2680 रुपये

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संजय सिंह उर्फ तन्नू सिंह पुत्र स्व0 जगदीश सिंह निवासी खप्टिहांकला थाना पैलानी जनपद बांदा ।
2. अरविन्द सिंह पुत्र राजाभईया निवासी अछरौड़ थाना मटौध जनपद बांदा ।
3. अशोक सिंह पुत्र रामऔतार सिंह निवासी भज्जू सिंह का पुरवा, गुरेह थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।
4. भरत लाल निषाद पुत्र रामऔतार निवासी शिवपाल का डेरा मजरा खप्टिहाकला थाना पैलानी जनपद बांदा ।
5. अमेन्द्रजीत निषाद उर्फ मिन्ता पुत्र बृजराज निवासी शिवपाल का डेरा मजरा खप्टिहांकला थाना पैलानी जनपद बांदा ।

फरार/वांछित अभियुक्त-

1. मोहित निगम पुत्र अज्ञात निवासी महादेव पेट्रोल पम्प के पास तिन्दवारी रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा । **(मुख्य अभियुक्त)**

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 75/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास फरार अभियुक्त मोहित निगम उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 520/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 521/17 धारा 60 आब0 अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 55/18 धारा 138(1)(बी) भा0वि0अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त संजय सिंह उर्फ तन्नु उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 197/22 धारा 8/20/25 एनडीपीएस एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 272/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त भरतलाल निषाद उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 313/20 धारा 279/304ए/338 भादवि थाना पैलानी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अशोक सिंह उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 29/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 8A(c)/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 753/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष पैलानी श्री संदीप कुमार सिंह
2. चौकी प्रभारी खप्टिहांकला श्री राजेश कुमार मिश्र
3. हे0कां0 रामचन्द्र यादव
4. कां0 अंकित यादव
5. कां0 विजय सिंह
6. कां0 नारायण सिंह
7. कां0 अवनीश पाठक